

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0, बागेश्वर (कपकोट) ।**

फैक्स नं0 05963-220127

ई-मेल:- eepmgysykapkot@rediffmail.com

पत्रांक:- ४६३ वनभूमि / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2017-18,

दिनांक:- १३-१२-2018.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं,
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इन्दिरानगर, फ़ौरैस्ट कालोनी,
देहरादून (उत्तराखण्ड) ।

विषय-

जनपद-बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या
FP/UK/ROAD/13065/2015 कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग से काफलीकमेडा
मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

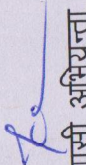
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के

EDS dated 02-08-2018

महोदय,

वनभूमि प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/13065/2015 कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर मोटर
मार्ग से काफलीकमेडा मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण आनलाईन कर दिया गया है,
एवं आफलाईन एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को एवं तीन प्रतियों में आपके कार्यालय को
संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,


अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,

पी0आई0यू0-2, पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट

सेवा में,

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अधिराशी अभियन्ता,

पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0 आई0 यू0 ।।,
कपकोट, बागेश्वर।

विषय:- जनपद-बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट-गिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग से काफली कमेडा मोटर मार्ग हेतु 8.287
हे० के निर्माण के सम्बन्ध में।FP/UK/ROAD/13065/2015)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS
दिनांक 02-08-2018

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त
विषयक सन्दर्भित पत्र की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया पत्र में
उल्लिखित स्पष्ट से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं की सूचना ऑन लाईन करते हुए तीन हार्ड प्रतियों में
शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, एवं वन प्रभाग के स्तर से प्रदान की जाने वाली सूचनाओं हेतु
वन प्रभाग से सामन्जस्य स्थापित कर सूचनाएँ शीघ्र प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करवायें। सूचना
ससमय उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को निरस्त भी किया जा सकता
है।

संलग्न-यथोपरि।